

सड़कों पर जीवन यापन करने वाले बच्चों के लिये मानक संचालन प्रक्रिया

समाचारों में क्यों?

- प्रायः हम देखते हैं कि हमारे नौनहिलों का बचपन 2 फुट के फुटपाथ की काली-सफ़ेद पट्टियों में ही फँसकर खत्म हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों पर जीवन यापन करने पर वविश बच्चों के संरक्षण एवं देखभाल के लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया (standard operating procedure-SOP) का शुभारंभ किया गया है।

एसओपी का उद्देश्य

- उल्लेखनीय है कि मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य सड़कों पर जीवन यापन करने पर वविश बच्चों का पुनर्वास के साथ-साथ हफ़िज़त को भी सुनिश्चित करना है।
- वदिति हो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सड़कों पर जदिगी गुज़ारने पर मजबूर बच्चों के लिये इस अत्यावश्यक रणनीति को वकिसति करने हेतु 'सेव द चिल्ड्रेन' नामक एक सविलि सोसायटी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ गठबंधन किया है।

क्यों खास है यह एसओपी?

- वदिति हो कि यह एसओपी वभिन्न क्षेत्रों में किये गए वसितृत शोध अध्ययनों के नषिकर्षों और लगभग 35 एनजीओ के साथ किये गए क्षेत्रीय वचिर-वमिरश से उभर कर सामने आए सुझावों पर गौर करने के बाद तैयार की गई है।
- एसओपी को तैयार करने से पहले दलिली में उन बच्चों से भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सलाह-मशविरा किया गया, जो सड़कों पर जीवन यापन करने की वविशता से अपने-आपको उबार चुके हैं। अतः इस उपक्रम की प्रकृति निश्चित ही व्यवहारिक होगी जिससे इसके सफल होने की उम्मीद बढ़ गई है।

कैसे कार्य करेगी यह एसओपी?

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिये आवश्यक कदमों वाली एक वसितृत रूपरेखा तय करने का नरिणय लिया क्योंकि इस तरह के बच्चों की समस्याएँ बहुआयामी एवं जटलि होती हैं।
- एसओपी का लक्ष्य मौजूदा वैधानिक एवं नीतगित रूपरेखा के अंतरगत वभिन्न कदमों को दुरुस्त करना है। एसओपी का उद्देश्य उन प्रक्रियाओं को चनिहति करना है जनि पर अमल तब किया जाएगा, जब सड़कों पर जीवन यापन करने वाले कसिी बच्चे की पहचान एक जरूरतमंद बच्चे के रूप में हो जाएगी।
- ध्यातव्य है कि ये प्रक्रियाएँ नयिमों एवं नीतियों की मौजूदा रूपरेखा के अंतरगत ही होंगी और इनकी बढौलत वभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में समुचित तालमेल संभव हो जाएगा। इसके अलावा, ये प्रक्रियाएँ इन बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु समस्त हतिधारकों के लिये एक दशिा-नरिदेश के रूप में होंगी।